

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक:

17 MAY 2018

--:परिपत्र--

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। राज्य सरकार को उनके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों में IPR नहीं भरते हेतु तकनीकी कारण जिसमें विशेष रूप से आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की समस्या बताई गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ही SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर से अचल सम्पत्ति की सूचना भरने हेतु निर्देशित किया गया था। SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर IPR भरने हेतु अधिकारियों को अन्तिम अवसर 31 मई 2018 तक प्रदान किया जाता है। इस अवधि में सभी तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए अपनी अचल सम्पत्ति विवरण राज-काज सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से भर दे अन्यथा उनके विरुद्ध दिनांक 27.12.2017 के परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी थी। वे सभी अधिकारी इस अवधि में संशोधित प्रविष्टियां अंकित कर ऑन-लाईन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव